भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- †1898

उत्तर देने की तारीख- 13/03/2023

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) में नामांकित छात्र

†1898. श्री दिलीप घोष:

श्रीमती जसकौर मीना:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के जनजातीय क्षेत्रों में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) की योजना का ब्यौरा और इन विद्यालयों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) अब तक ईएमआरएस में नामांकित छात्रों/आदिवासी बच्चों की संख्या कितनी है तथा राजस्थान और पश्चिम बंगाल के जिलों सहित पूरे देश में स्थानों के नाम और उनकी स्थिति क्या है;

(ग) क्या पूरे देश के स्कूलों में नामांकित आदिवासी बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) विगत पांच वर्षों में से प्रत्येक के दौरान उक्त उद्देश्य के लिए स्वीकृत, आबंटित जारी और उपयोग की गई धनराशि का राजस्थान सहित ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार इन स्कूलों में शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती करने पर भी विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में अब तक निर्धारित लक्ष्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(श्रीमती रेणुका सिंह सरूता)

(क) तथा (ग): एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) की योजना दूरस्थ क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों (कक्षा 6टी से 12वीं) को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में लागू की जा रही है ताकि उन्हें शिक्षा के सर्वोत्तम अवसरों तक पहुँच में सक्षम बनाया जा सके और उन्हें आम जनता के बराबर लाया जा सके। सरकार ने राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली उपयुक्त भूमि की उपलब्धता के अध्यधीन 50% से अधिक एसटी आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों (2011 की जनगणना के अनुसार) वाले प्रत्येक ब्लॉक में एक ईएमआरएस स्थापित करने का निर्णय लिया है। ईएमआरएस का उद्देश्य जनजातीय छात्रों को उनके अपने वातावरण में निःशुल्क अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना है। छात्रावासों और स्टाफ क्वार्टरों सहित स्कूल परिसर स्थापित करने के लिए मैदानी क्षेत्रों के लिए पूंजीगत लागत 20.00 करोड़ रुपये से संशोधित कर 37.80 करोड़ रुपये

कर दी गयी है, और उत्तर पूर्व, पहाड़ी क्षेत्रों एवं एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्रों में 24.00 करोड़ रुपये से 48.00 करोड़ रुपये कर दी है। स्कूलों के संचालन और छात्रों के खर्च (वर्दी, किताबें और स्टेशनरी, भोजन आदि) के लिए प्रति छात्र प्रति वर्ष 1.09 लाख रुपये तक की आवर्ती लागत का भुगतान किया जाता है। राज्यों को यह सलाह दी गई है कि स्कूलों का निर्माण पूरा होने तक स्कूलों को सरकारी भवनों को प्राथमिकता देते हुए वैकल्पिक भवनों में संचालित करें। आज तक, 690 स्कूलों को मंजूरी दी गई है और देश भर में 401 ईएमआरएस क्रियाशील बना दिए गये हैं और इन ईएमआरएस में 113275 छात्र नामांकित हैं। पिछले कुछ वर्षों में ईएमआरएस में नामांकन बढ़ा है और उनका राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक** के अनुसार दिया गया है।

(घ): मंत्रालय द्वारा ईएमआरएस की योजना के तहत एक स्वायत्त सोसाइटी, जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी (एनईएसटीएस) को योजना के कार्यान्वयन के लिए निधि निर्मुक्त की जाती है और एनईएसटीएस, आगे राज्य सोसाइटियों और निर्माण एजेंसियों आदि को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार निधि निर्मुक्त करती है। वर्ष 2019-20 तक, राज्यों को राजस्थान सहित इस योजना के लिए 'संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान' के तहत घटकों में से एक घटक के रूप में निधियां जारी की जा रही थी। वर्ष 2020-21 के बाद से, ईएमआरएस योजना के लिए अलग से आवंटन किया जाता है और मंत्रालय द्वारा एनईएसटी को स्वीकृत/निर्मुक्त की गई निधियों का विवरण और वर्ष 2020-21 से उपयोग की सूचना निम्नानुसार है:

(करोड़ रूपए में)

वित्तीय वर्ष	एनईएसटी को स्वीकृत/ निर्मुक्त की गई निधि	एनईएसटीएस द्वारा उपयोग धनराशि की सूचना
2020-21	1199.98	1199.98
2021-22	1057.74*	301.00

*सीसीए के तहत जारी निधि के संबंध में यूसी आज की तारीख में देय नहीं है।

(ड.) से (च): सरकार ने, बजट 2023-24 में 3.5 लाख जनजातीय छात्रों को शिक्षा प्रदान करने वाले 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की घोषणा की है। इसके अनुसरण में, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स (एनईएसटीएस) ने कार्य योजना को अंतिम रूप दे दिया है और भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए चरणबद्ध तरीके से आगे की उचित कार्रवाई कर रहा है।

अनुलग्नक

'एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) में नामांकित छात्र' के संबंध में श्री दिलीप घोष तथा श्रीमती जसकौर मीना द्वारा दिनांक 13.03.2023 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या †1898 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2018- 19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	आंध्र प्रदेश	2800	3424	4609	5795	7087
2	अरुणाचल प्रदेश	240	208	100	220	290
3	असम	0	480	480	480	सूचना नहीं की
4	बिहार	-	-	-	-	0
5	छत्तीसगढ़	6780	7961	11519	15581	19123
6	दादरा नगर हवेली और दमन तथा दीव	0	0	120	179	238
7	गुजरात	10172	10156	10974	10973	10985
8	हिमाचल प्रदेश	210	312	422	552	673
9	जम्मू और कश्मीर	-	-	-	-	294
10	झारखंड	2829	3558	3084	3051	3201
11	कर्नाटक	2879	3053	3638	4027	4185
12	केरल	600	535	520	560	697
13	लद्दाख	-	-	-	-	0
14	मध्य प्रदेश	10270	12946	20657	23393	24281
15	महाराष्ट्र	4103	5067	6272	7062	8048
16	मणिपुर	1170	1440	1439	1431	1440
17	मेघालय	-	-	-	-	0
18	मिजोरम	400	396	856	1061	1250
19	नागालैंड	583	619	640	671	681
20	ओडिशा	5340	5821	6711	7317	8495
21	राजस्थान	5350	4947	5938	7224	8222
22	सिक्किम	915	979	987	1008	1131
23	तमिलनाडु	1553	2186	2506	2867	2488
24	तेलंगाना	4160	3960	5815	6795	7113
25	त्रिपुरा	1680	1740	1824	1899	1984
26	उत्तर प्रदेश	630	473	495	480	617
27	उत्तराखंड	279	393	514	765	752
28	पश्चिम बंगाल	2662	2737	400	2072	सूचना नहीं की
	कुल योग	65605	73391	90520	105463	113275

*****